न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री कैलाशचन्द्र शर्मा आर.ए.एस

मु0 माल स0 215/2015

1–किशोरसिंह पुत्र सुमनसिंह जाति राजपूत निवासी गांव 10 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर – प्रार्थी

बनाम

1–नरेन्द्रसिह पुत्र भवरसिह जाति राजपूत निवासी 10 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

2–प्रदीपसिंह पुत्र भवरसिह जाति राजपूत निवासी 10 ए छोटी तहसील व जिला गंगानगर –अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–1–श्रीमोहनलाल माहर एडवोकेट–प्रार्थी

2–श्री राजविन्द्रसिंह एडवोकेट–अप्रार्थीगण

:–आदेश–: दिनांकः-5 अक्टूबर ,2015

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दावा अन्तर्गत 188आरटीए का पेश किया हुआ है। कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3–4 के नाम से वाके चक 10 ए छोटी के खाता स0 112/110के मु0न050में 0.126,मु0न075 में 1.363 हैक्टयर मु0न073 में 2.530 कुल 5.819 हैक्टयर तथा खाता स0 113/99 के मु0न058 में 0.822 मु0न057 में 0.759 कुल 1.581 हैक्टयर रकबा खातेदारी दर्ज हैं। ग्राम आबादी के चिपते प्रार्थी का मु0न057 का कि0न019 सालम लगता हैं जिसके साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का आबादी में मकान हैं। अप्रार्थीगण जोर जबरदस्तीपूर्वक प्रार्थी की खातेदारी में अवैघ निर्माण करने पर उताऊ हैं। उक्त प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुनने व प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनने पर दिनांक 15–7–15 को चक 10एछोटी के मु0न057 के कि0न019 सालम में किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने से बाज व ममनू रहने तथा मौका की आगामी पेशी तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेघाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण को जरिऐं रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स01–2 की ओर से श्री राजविन्द्रसिंह एडवोकेट उपस्थित आयें।दिनांक 7–8–15 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त विवादास्पद भूमि मु0न057 के कि0न019 में कोई निर्माण नहीं कर रहे है।खातेदारी भूमि हैं। अपनी आबादी भूमि में निर्माण कर रहे हैं। अतः प्रथम द्वष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं ओर ना ही सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में हैं।अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

— cont (2)

विविध 215/15

तर्क दिया कि विवादास्पद भूमि मु0न057 का कि0न019 हैं। मेरी खातेदारी में जबरन निर्माण न करें। पटटा सम्बन्धी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। सिर्फ एक रिपोर्ट दी हैं। रिपोर्ट एक तरफा हैं उसका कोई आधार नहीं हैं न तो तलब की गई। न न्यायालय ने मंगाई हैं इसलिऐ पढने योग्य नहीं है। प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनता हैं इनका निर्माण मूल वाद के निर्णय तक रोका जावें। आरआरटी 2002 पेज 882,आरआरटी 2022 पेज 798 की नजीरे प्रस्तुत की गई हैं। अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि सरपंच/ग्राम सेवक की रिपोर्ट के अनुसार 76–77नम्बर प्लाट पर निर्माण किया हैं इस पर सरपंच के हस्ताक्षर है। जो एक तरफा नहीं। आबादी भूमि के प्लाट पर निर्माण किया जा रहा हैं जो नजीरें प्रस्तुत की हैं वह लागू नहीं होती हैं। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें तथा पूर्व में जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को भी खारिज किया जावें।

हमने दोनों पक्षों के द्वारा समायत बहस पर मनन किया एंव प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ने अपनी आबादी भूमि में आवंटित प्लाटों पर निर्माण करना बताया हैं। चक 10ए छोटी के मु0न057 के कि0न019 अप्रार्थीगण की खातेदारी है चूंकि प्रार्थी ने कि0न019 पर कोई निर्माण कार्य नहीं करे व कब्जा काश्त न करें। यह खातेदार का स्वामित्वक अधिकार हैं इसलिए प्रथम द्वष्टया प्रकरण प्रार्थी का बनता हैं। अप्रार्थीगण चक 6 ए छोटी के मु0न057 के कि0न019 में कोई अवैघ कब्जा नहीं करें। प्रार्थी का प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनता हैं ओर सुविधा का सन्तुलन भी उनके पक्ष में हैं। मूल वाद में जबाब आने के पश्चात तनकीयात कायम किये जाने पर साक्ष्य एंव सबूतों के आधार पर मूल वाद तैय किया जायेगा। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में आदेश दिनांक 15–7–15 से जारी अस्थाई निषेघाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता हैं। पत्रावली नम्बर से कम कर फैसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

आदेश सुनाया गया।

(केलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर